आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Ministry of New and Renewable Energy

Biogas Programme (National Bioenergy Programme, MNRE)

यह केंद्रीय कार्यक्रम स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, रोशनी, बिजली और जैविक खाद के लिए छोटे घरेलू बायोगैस संयंत्र (प्रतिदिन 1 से 25 घन मीटर) और मध्यम बायोगैस परियोजनाएं लगाने पर सब्सिडी देता है।

क्या मिल सकता है

छोटे बायोगैस संयंत्र के लिए केंद्र संयंत्र के आकार के हिसाब से तय राशि देता है, जैसे ज्यादातर राज्यों में 1 घन मीटर के संयंत्र पर Rs 9,800 और 20 से 25 घन मीटर पर Rs 52,800, तथा SC और ST लाभार्थियों और पहाड़ी, पूर्वोत्तर और द्वीप राज्यों में Rs 17,000 से Rs 70,400। संयंत्र शौचालय या स्लरी फिल्टर यूनिट से जुड़ा हो तो Rs 1,600 अतिरिक्त मिलते हैं। मौके पर बनने वाले संयंत्रों के लिए प्रति संयंत्र Rs 3,000 से Rs 5,000 का टर्न-की जॉब शुल्क भी मिलता है।

किसके लिए है

वे परिवार, किसान और डेयरी मालिक जो छोटा बायोगैस संयंत्र बनाना चाहते हैं, और वे संस्थाएं जो 25 से 2,500 घन मीटर तक के मध्यम संयंत्र लगाती हैं।

मुख्य शर्तें

- 1 से 25 घन मीटर के छोटे संयंत्र के लिए लाभार्थी के पास अपनी जमीन या लगभग 50 से 60 वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए।
- गोबर या दूसरा कच्चा माल और नियमित पानी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
- लाभार्थी को संयंत्र की लागत में अपना हिस्सा लगाने में सक्षम होना चाहिए।
- मध्यम संयंत्रों का प्रस्ताव राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियां देती हैं, व्यक्ति नहीं।

आवेदन कैसे करें

1. MNRE बायोगैस पोर्टल खोलकर छोटे संयंत्र के लिए बायोगैस उपभोक्ता रुचि फॉर्म भरें, या MNRE के बायोगैस मोबाइल ऐप का उपयोग करें।
2. आपके राज्य की कार्यान्वयन एजेंसी स्थापना का लक्ष्य मिलने के बाद ही आवेदनों पर कार्रवाई करती है और फिर आपकी जगह पर संयंत्र लगवाती है।
3. 25 घन मीटर से बड़े मध्यम संयंत्रों के प्रस्ताव कार्यान्वयन एजेंसियां मध्यम बायोगैस संयंत्र के आवेदन फॉर्म से पोर्टल पर देती हैं।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://biogas.mnre.gov.in/about-the-programmes
आधिकारिक आवेदन: https://biogas.mnre.gov.in/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/mnre-biogas-programme/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।